## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
### पीठासन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 303/22

प्रार्थी :– भूराराम पुत्र सुरताराम जाति भील, निवासी गोपडी, तह0 पचपदरा ,जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा, जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :– 1. प्रार्थी भूराराम

आदेश दिनांक :– 27.02.2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि सरहद मौजा गोपडी पटवार क्षेत्र गोपडी तहसील पचपदरा के खेत खसरा न. 430/306, क्षेत्रफल– 04.8562 हैक्टेयर मे आवागमन हेतु खसरा संख्या 306, क्षेत्रफल--05.4471 हैक्टेयर में संलग्न नजरी नक्शे परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए ए से बी तक बरंग लाल के रास्ता 30 फीट आम रास्ता तक आवागमन एवं कृषि उपयोग करवाना चाहते है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर विप्रार्थी को दिनांक 06.10.2022 नोटिस जारी किये गये। सरकारी पैरोकार उपस्थित । तहसीलदार पचपदरा को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी जिसकी पालना में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट पत्र कमाक/राजस्व/2023/ दिनांक 27.02.2023 को न्यायालय में प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा नें मौका रिपोर्ट में जाहिर किया कि मौजा गोपडी पटवार क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा के खेत खसरा न. 430/306 मे आवागमन हेतु 02 विकल्प दिये गये है। जिसमे बिन्दु ए–बी अनुसार जो प्रार्थी द्वारा आवेदित है [illegible] खसरा नम्बर 306 में से रकबा 0.4559 हैक्टर [illegible] डीएलसी [illegible] 19467/प्रति बीघा है । जिसमे बिन्दु सी–डी अनुसार जो [illegible] है जिनका खसरा नम्बर 429/306 रकबा 0.1692 हैक्टर डीएलसी 19467/ प्रति बीघा है व नेवाई के खसरा नम्बर 529/153 रकबा 0.2428 डी.एल.सी. 31563/ प्रति बीघा है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 20:52:13 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लगातार.....(2)

प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा गोपडी की जमाबदी सवंत 2079–2078 तक का अवलोकन किया गया।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा भू0अभिलेख निरीक्षक पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नक्शा का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । प्रार्थी ग्राम गोपडी पटवार हल्का गोपडी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या खसरा नम्बर 430/306, क्षेत्रफल 04.8562 हैक्टेयर भूमि का अभिलिखित खातेदार हैं, जिस पर उनका कब्जा काश्त है। प्रार्थी के खातेदारी खेत एवं सडक के मध्य विप्रार्थी की उक्त भूमि अवस्थित है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत से सडक तक आवागमन हेतु विप्रार्थी की उक्त भूमि के मध्य अवस्थित रास्ते से गुजरना पडता है । तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आवागमन का विकल्प है। जिसकी प्रार्थी को अत्यधिक आवश्यकता है । प्रस्तावित रास्ते में प्रभावित भूमि का 0.4599 हैक्टेयर है ।

विप्रार्थी की भूमि की डीएलसी दर 19467/– रूपये प्रति बीघा है। उक्त दर से रास्ते में प्रभावित भूमि की डीएलसी दर की दुगनी राशि 110616/– रूपये बनती है, जो प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को अदा की जानी है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' मे बरंग लाल से चिन्हित मार्क "ए" से "बी" भाग प्रार्थी के आवागमन व रास्ता हेतु स्वीकार किया जा कर ग्राम गोपडी तहसील पचपदरा के खसरा नम्बर 430/306, क्षेत्रफल 04.8562 हैक्टेयर से सडक तक आवागमन हेतु ग्राम गोपडी के खसरा संख्या 306 क्षेत्रफल–05.4471 हैक्टेयर में से तहसीलदार पचपदरा द्वारा दिनांक 27.02.2023 को प्रेषित मौका फर्द के संलग्न नक्शे में चिन्हित अनुसार क्षेत्रफल 0.4599 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी द्वारा [illegible] की निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि रूपये 110616/– राजकोष में जमा करवाने पर, गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते हैं । तहसीलदार पचपदरा को तदनुसार खसरा संख्या 306 क्षेत्रफल 05.4471 हैक्टेयर में से 0.4599 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रेकर्ड मे गैरमुमकिन रास्ते के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 20:52:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लगातार.... (3)

रूप में सरकारी खाते में अमल दरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा द्वारा दिनांक 27.02.23 को प्रेषित मौका फर्द में एवं प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 20:52:13 IST
Reason: SelfAttested